



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57530

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4269/2026

अमरनाथ सहानी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : विवेकानन्द यादव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.) (वरिष्ठ अधिवक्ता)

न्यायालय सं० - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अनुदेशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन की सूचना सूचनादाता-विपक्षी संख्या 4 एवं बाल कल्याण समिति, गोरखपुर-विपक्षी संख्या 3 को दि० 31.01.2026 को दी जा चुकी है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राप्त समर्थन पत्रावली पर लिये गये। किन्तु उक्त विपक्षीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना।

3. यह जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 699/2025, अन्तर्गत धारा 137(2), 61(1), 70(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पीड़िता के कथन के अनुसार, दि० 10.12.2025 को सायं लगभग 7 बजे काली माता स्थान के निकट, 16 वर्षीया पीड़िता को आवेदक एवं तीन सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर बहला-फुसलाकर जबरदस्ती ले जाया गया। सूचना मिलने पर सूचनादाता ने उनका मोटरसाइकिल पर पीछा किया। पिन्डारी के पास, पीड़िता किसी तरह कूद गई, जिससे उसके हाथ, पैर एवं चेहरे पर चोट आई। किन्तु पीड़िता ने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपने कथन में एक विपरीत कथानक प्रस्तुत किया है। यह तर्क दिया गया कि यह कथन अपराध को बढ़ा-चढ़ाकर बताने एवं असफल होते अभियोजन पक्ष को बचाने के लिए दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पीड़िता के कथन में एक ओर एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पीड़िता के कथन में दूसरी ओर अन्तर्विरोध अभियोजन पक्ष के प्रकरण को अविश्वसनीय बनाते हैं। चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती। इस अवस्था में आवेदक को अपराध से जोड़ने का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक दि० 14.12.2025 से कारागार में बन्द है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह उक्त स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किन्तु अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का सन्तोषजनक खण्डन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पीड़िता के कथन में एक ओर एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पीड़िता के कथन में दूसरी ओर अन्तर्विरोध हैं। चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती। इस अवस्था में आवेदक को अपराध से जोड़ने का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक तीन माह से अधिक अवधि से कारागार में बन्द है तथा आरोप-पत्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दाखिल हो जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है तथा राज्य द्वारा कोई उचित आशंका व्यक्त नहीं की गई कि यदि आवेदक जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा विचारण में विलम्ब करेगा अथवा साक्षियों को डरायेगा-धमकायेगा; अतएव प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी है।

7. आवेदक अमरनाथ सहानी को उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; एवं
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 मार्च, 2026